न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 94/2024

अनवान : –

1. संतोश पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मन्जु पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः- 15/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वादी भूमि मुश्तरका होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा अच्छी किस्म की भूमि का अजनबी क्रेतागण को बेचान कर अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाने पर आमाद है एवं उक्त भूमि में से मिटटी का अवैध खनन भी कर रहे है जबकि वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट का अकृषि उपयोग व मिटटी खनन न किया जावे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता [illegible] किशोर जोशी उपस्थिति। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक हक हिस्सा अलग अलग काबिज है। हमारे कब्जा काश्त की भूमि में मिटटी इक्कठी की हुई है मिटटी का खनन नही किया जा रहा है। इसी वाद भूमि का एक अन्य दावा पूर्व मे जैरकार है जो की प्राथमिक डिक्री होकर उसमें तजबीज तकसीम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त स्थगन केवल अप्रार्थी को परेशान करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की अप्रार्थीगण द्वारा अच्छी किस्म की भूमि का अजनबी क्रेतागण को बेचान कर अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाने पर आमाद है एवं उक्त भूमि में से मिटटी का अवैध खनन भी कर रहे है जबकि वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 2 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। पक्षकारान मुताबिक हक हिस्सा अलग अलग काबिज है। हमारे कब्जा काश्त की भूमि में मिटटी इक्कठी की हुई है मिटटी का खनन नही किया जा रहा है। इसी वाद भूमि का एक अन्य दावा पूर्व मे जैरकार है जो की प्राथमिक डिक्री होकर उसमें तजबीज तकसीम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त स्थगन केवल अप्रार्थी को परेशान करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्राथीगण दर्ज है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा [illegible] रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मिटटी खनन नही करने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया है। उक्त वाद भूमि बाबत एक अन्य वाद भी विचाराधीन है जिसमे तजबीज तकसीम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित नही होने से दिनांक 08.05.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। अप्रार्थीगण को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मिटटी खनन न करने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:52:30 IST
Reason: SelfAttested